ब न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही।

विविध वाद संख्या 09/2019–20

टिकम चन्द जैन –बनाम– अशोक कुमार जैन वगै0

दिनांक	–: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :–	अभियुक्ति

प्रस्तुत वाद आवेदक टिकम चन्द जैन के आवेदन एवं उनके अधिवक्ता को सुनने के बाद लाया गया है, जिसमें आवेदक का कहना है कि मौजा ताजपुर थाना चौपारण, जिला हजारीबाग के खाता संख्या 03, प्लॉट संख्या 1139 एवं अन्य कुल रकबा 9.65 ए0 एवं खाता संख्या 01 कुल रकबा 3.69 ए0 भूमि केवाला संख्या 611, दिनांक 25.06.1948 द्वारा बाबु लालचन्द जैन खरीद किया था। वे नावल्द थे उनकी मृत्यु के बाद प्रश्नगत भूमि पर आवेदकगण का दखल कब्जा रहा। उनके बड़े भाई स्व0 लक्ष्मी नारायण जैन के पुत्र अशोक कुमार जैन एवं सुबोध कुमार जैन द्वारा दिनांक 24.07.2000 को केवाला संख्या 12481 एवं 12482 द्वारा खाता संख्या 3, प्लॉट संख्या 1139, रकबा 29 डी0 एवं प्लॉट संख्या 1814 रकबा 36 डी0 मधे रकबा 31 डी0 चुपके से उर्मिला देवी पति स्व0 जगरनाथ सिंह को बिक्री कर दिया। जब आवेदक को इसकी जानकारी हुई तब अंचल अधिकारी, चौपारण के यहां आवेदन दिया था और पूर्व के निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र, पत्र संख्या 122, दिनांक 09.10.2018 को ज्ञापांक 1150, दिनांक 15.10.2018 द्वारा रद्द किया गया। अतः अर्मिला देवी के नाम कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया है, जिसके आलोक में उभय पक्षों को नोटिस करते हुए अपने लिखित पक्ष रखने तथा अंचल अधिकारी, चौपारण से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई।

प्रथम पक्ष द्वारा अपने लिखित जवाब एवं तर्क में कहा है कि अंचल अधिकारी, चौपारण का विविध वाद संख्या 03/2018–19 एवं वाद संख्या 01/2019–20 के आदेश के विरूद्ध लाया गया है, जिसमें कि अशोक कुमार जैन एवं सुबोध कुमार जैन पिता स्व0 लक्ष्मी नारायण जैन द्वारा खाता संख्या 3, प्लॉट संख्या 1139 रकबा 29 डी0 भूमि सेल डीड दिनांक 24.07.2000 तथा प्लॉट संख्या 1814 रकबा 31 डी0 सेल डीड दिनांक 20.07.2000 द्वारा बिक्री की गई। ये भी कहना है कि लालचन्द जैन उक्त जमीन के असली मालिक के जीवित रहते

गलत तरीके से सुबोध कुमार जैन एवं अशोक कुमार जैन द्वारा उर्मिला देवी को डीड किया है एवं इस बिक्री के आधार पर अंचल अधिकारी, चौपारण द्वारा जमाबंदी कायम की गई है। ये भी कहना है कि लालचंद जैन की मृत्यु दिनांक 20.12.2000 को हुई है एवं उनके कोई संतान नहीं थे और जो बिक्री किया वे उनके भतीजे है, जो स्व0 लक्ष्मी नारायण जैन के पुत्र है, जिनका वंशावली निम्न है:–

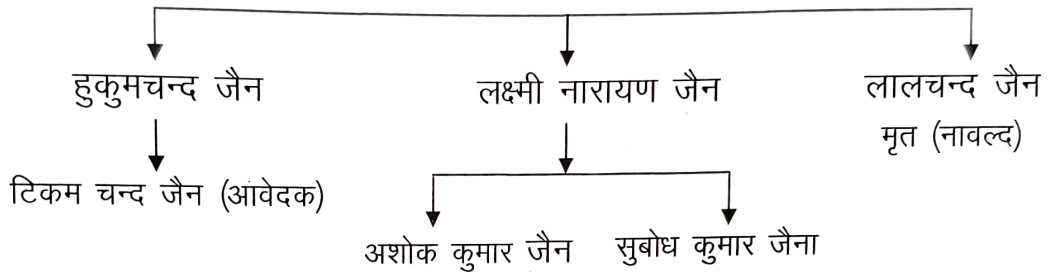

ये भी कहना है कि हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के धारा 14 में प्रावधान के अनुरूप विपक्षी नं0 1 और 2 को लालचन्द जैन के बाद हिस्सा के हकदार होंगे न कि उनके जीवित काल में। इस तरह लालचन्द जैन के जीवित काल मे उक्त जमीन का हस्तांतरण नहीं किया जाना था, इस तरह कोई भी हासिल दिनांक 20.12.2000 के पूर्व गलत है। ये भी कहना है कि अंचल अधिकरी आपसी बंटवारा को भी नहीं मानते है, परन्तु आवेदन को केवल इस आधार पर अस्वीकृत कर दिये कि 19 साल तक कोई दावा नहीं किया गया। अंचल अधिकारी को इस बात का ध्यान रखना था कि अशोक कुमार जैन एवं सुबोध कुमार जैन का जमाबंदी के बगैर उर्मिला देवी का जमाबंदी खोलना Bihar Tenants holding (Maintainance of Recor) Act 1982 के अनुरूप नहीं है। इस आधार पर दाखिल खारिज वाद संख्या 442/2000–01 नियमानुकुल नही था, जिसे खारिज करने योग्य है। यह भी कहना है कि जगनारायण सिंह जो विपक्षी पक्षकार उर्मिला देवी के पति है, साजिश के तहत एल0पी0सी0 निर्गत कराया गया था परन्तु आपत्ति करने पर जांच प्रतिवेदन के आधार पर भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र संख्या 122 दिनांक 09.10.2018 को ज्ञापांक 1150 दिनांक 15.10.2018 द्वारा किया गया। ये भी कहना है कि उर्मिला देवी के पति जबरन भूमि पर कब्जा करना चाहते है और कानून–व्यवस्था का सम्मान नहीं करते है। जबकि याचिकाकर्त्ता

साधारण व्यवसायी व्यक्ति है, अतः उर्मिला देवी के जमाबंदी को रोक लगाने का अंचल अधिकारी को सूचना देने का अनुरोध किया है। साक्ष्य के रूप में राजस्व कागजता दाखिल है।

उक्त प्रक्रिया में द्वितीय पक्ष से कोई भी लिखित जवाब दाखिल नहीं किया गया, जबकि विपक्षी संख्या–3 उर्मिला देवी के मृत्यु उपरान्त उनके कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में विनोद सिंह एवं बेबी देवी को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस की गई, जिसके बाद वकालतनामा के साथ उपस्थित हुए, परन्तु बार–बार समय दिये जाने के बावजूद अपना लिखित पक्ष नहीं रखा। तत्पश्चात अभिलेख में उपस्थित दस्तावेज, साक्ष्य एवं अधिवक्ता के दलील के आधार पर निर्णय के लिए रखा गया।

जबकि अंचल अधिकारी, चौपारण द्वारा LCR दाखिल खारिज केस नं0 442/2000–01 का आदेश दाखिल है एवं अंचल अधिकारी का विविध वाद संख्या $\frac{03/18-19}{01/19-20}$ का आदेश दाखिल की गई है, जिसमें प्रतिवेदित है कि अंचल अधिकारी, चौपारण पारित आदेश को 19 वर्ष तक कोई आपत्ति नहीं किया जाना तार्किक नहीं मानते हुए अस्वीकृत की गई है तथा आवेदक द्वारा उक्त जमाबंदी पर लगाया गया आरोप घरेलू बंटवारा का बताते हुए इसे स्वत्व वाद का मामला बताया गया है।

उक्त वाद के समीक्षा के क्रम में आवेदक के ओवदन एवं दाखिल लिखित तथा समर्पित राजस्व कागजात के अवलोकन तथा समीक्षोपरान्त और अंचल अधिकारी, चौपारण द्वारा समर्पित एल0सी0आर0, दाखिल खारिज वाद संख्या 442/2000–01 का आदेश एवं अंचल अधिकारी, चौपारण का विविध वाद संख्या $\frac{03/18-19}{01/19-20}$ में पारित आदेश के समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि लालचन्द जैन को यह भूमि केवाला से प्राप्त है एवं जमाबंदी कायम होकर जीवन पर्यंत दखलकार रहें। बाबू लाल चन्द जैन की मृत्यु दिनांक 20.12.2000 में हुई है, जबकि अपने जीवित में बाबू लालचंद जैन उक्त भूमि, रकबा, प्लॉट को कोई बंटवारा या हस्तातंरण नहीं किया था। उक्त खाता संख्या 03, प्लॉट संख्या 1139 एवं प्लॉट संख्या 1814 क्रमशः रकबा 29 डी0 एवं 31 डी0 कुल रकबा 60 डी0

बाबू लालचंद जैन की खरीदगी भूमि है, जिसपर वाद लाया गया है। अशोक कुमार जैन एवं सुबोध कुमार जैन का बाबू लालचंद जैन के जीवित काल में बिना सहमति के बिक्री विलेख नियमानुकुल जान नहीं पडता है, क्योंकि अंचल अधिकारी का दाखिल खारिज वाद संख्या 442/2000–01 में हल्का कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन में आपसी बंटवारा से प्राप्त बताया गया, जबकि बाबू लालचंद जैन अपने जीवन काल में कोई बंटवारा नही किया था। ऐसी स्थिति में सुबोध कुमार जैन एवं अशोक कुमार जैन द्वारा उर्मिला देवी पति जगनारायण जैन को भूमि बिक्री विलेख दिया जाना वगैर लालचंद जैन के सहमति का उचित प्रतीत नहीं होता है एवं यह स्वत्व संबंधी मामला भी प्रतीत होता है। अतः सक्षम न्यायालय का कोई स्पष्ट आदेश नहीं आता, उर्मिला देवी पति जगनारायण सिंह का जमाबंदी को स्थगित रखा जाता है। अंचल अधिकारी, चौपारण को अनुपालनार्थ भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

24/04/23

भूमि सुधार उपसमार्त्ता,
बरही, हजारीबाग।

24/04/23

भूमि सुधार उपसमार्त्ता,
बरही, हजारीबाग।

Digitally signed by AJAY BHAGAT
Date: 2024.06.18 18:36:47 +05:30
Location: 192.168.1.37